

राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली
दिनांक: 18 अप्रैल 2020

आदेश

विषय: निगरानी दल के पर्यवेक्षण में ड्रोन की बीवीएलओएस प्रायोगिक उड़ानों के प्रचालन को सुलभ बनाने हेतु नियम-15क के प्रावधानों से वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 150 के अंतर्गत छूट।

(1) जबकि केंद्र सरकार ने ड्रोनों की बीवीएलओएस प्रायोगिक उड़ानों के लिए निजी संसोर्टिया से हित अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के लिए "बीवीएलओएस प्रयोग आकलन और निगरानी (बीईएएम) समिति" नामक एक समिति का गठन किया है;

(2) जबकि उपरोक्त प्रयोजन हेतु मई, 2019 में ईओआई नोटिस जारी किया गया था और उक्त ईओआई नोटिस के प्रतिउत्तर में 34 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(3) जबकि बीईएएम की तकनीकी उप-समिति ने प्रस्तावों का मूल्यांकन किया और प्रयोगात्मक उड़ानों के लिए तेरह कंसोर्टियमों की सिफारिश की है;

(4) जबकि बीईएएम समिति ने इस मामले पर विचार किया है और इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी टीम की पर्यवेक्षण में तेरह कंसोर्टियमों द्वारा प्रायोगिक उड़ानों के प्रचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है; तथा

(5) जहाँ लोकहित में बीवीएलओएस प्रायोगिक उड़ानों के प्रचालन को आवश्यक समझा गया है, चाहे ऐसी उड़ानों के लिए तैनात किए जाने वाले ड्रोन को वायुयान नियमावली, 1937 के नियम-15 के तहत निर्धारित यूआईएन और प्रचालक परमिट की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हों;

इसलिए, अब, वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 160 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते केंद्र सरकार ने तेरह कंसोर्टिया (संलग्न सूची) को वायुयान नियमावली नियम 15क के प्रावधानों से छूट प्रदान की है ताकि निम्नलिखित शर्तों के मद्देनजर प्रायोगिक उड़ानों को प्रचालित किया जा सके।

i. प्रयोगात्मक उड़ानों को केवल रोटरी विंग ड्रोन के साथ प्रचालित की जाएंगी;

ii. प्रायोगिक उड़ानों बीईएएम समिति द्वारा स्थापित निगरानी समिति के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षित प्रचालकों की सेवाओं का उपयोग करते हुए तेरह कंसोर्टिया द्वारा संचालित की जाएंगी।

iii. प्रयोगात्मक उड़ाने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत वायु क्षेत्र में ही संचालित की जाएंगी और ड्रोनों को जियो-फेंसड होना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि स्वीकृत वायुक्षेत्र सीमाओं को पार नहीं किया गया है।

iv. नागर विमानन महानिदेशालय की दिनांक 27.08.2018 की नागर विमानन अपेक्षा की शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, केवल नागर विमानन महानिदेशालय और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई रियायतों के स्तर को छोड़कर।

v. यह छूट दिनांक 30 सितंबर, 2020 तक वैध रहेगी।

हस्ताक्षरित

(कामेश्वर मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

बीवीएलओएस प्रयोगात्मक प्रचालनों के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 18 अप्रैल 2020 के आदेश सं. एवी.11012/2/2019-एसडीआईटी-एमओसीए (पार्ट) में उल्लिखित
13 कंसोर्टिया की सूची

1. एयरोस्पेस इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन, तमिलनाडु।
2. एएनआरए कंसोर्टियम क
3. एएनआरए कंसोर्टियम ख
4. एस्टीरिया एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड
5. क्लियरस्काई फ्लाइट कंसोर्टियम
6. दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
7. डंजो एयर कंसोर्टियम
8. सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
9. सौबिका कंसोर्टियम
10. शॉप एक्स ओमनीप्रेसेंट कंसोर्टियम
11. स्पाइसजेट लिमिटेड
12. थ्रोतल एयरोस्पेश सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
13. वेल्यू थ्रू आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड